



LALITPUR POLICE



प्रेस नोट

दिनांक- 01.06.2025

थाना महरौनी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 03 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

अभियुक्त के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाडी मय बेंत(डण्डा) को बरामद किया गया ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री कालू सिंह व क्षेत्राधिकारी महरौनी, श्री रक्षपाल सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना महरौनी पुलिस द्वारा थाना महरौनी पर पंजीकृत मु0अ0स0- 225/2025, धारा- 109/115(2)/117(2)/118(1)/191(2)/191(3)/324(4)/351(3)/352 बी.एन.एस. में वांछित अभियुक्तगण- 1. शिवराज पुत्र भजनलाल उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम चौकी थाना महरौनी ललितपुर, 2. सुमरन पुत्र भजनलाल उम्र करीब 48 वर्ष निवासी ग्राम चौकी थाना महरौनी जनपद ललितपुर, 3. हरीसिंह पुत्र भजनलाल उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम चौकी थाना महरौनी जनपद ललितपुर को छपरट-जरया रोड, बहद ग्राम चौकी थाना महरौनी से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त शिवराज उपरोक्त के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाडी को बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी द्वारा थाना महरौनी पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि अभि0 गणों द्वारा एक राय होकर वादी व परिजानों को गाली गलौज कर, जान से मारने की नीयत से मारपीट करते हुये गम्भीर रूप से घायल कर देना तथा कार का शीशा तोड़ देना व धारदार हथियार से सिर में चोट पहुंचाना, हाथ तोड़ देना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था ।

प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना महरौनी पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया । घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी थी । धरातलीय सूचना, सर्विलांस व अन्य एकत्रित तकनीकी/वैज्ञानिक साक्ष्यों की मदद से अभियुक्तगण- शिवराज, सुमरन व हरीसिंह उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता व उम्र-

1. शिवराज पुत्र भजनलाल उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम चौकी थाना महरौनी ललितपुर ।
2. सुमरन पुत्र भजनलाल उम्र करीब 48 वर्ष निवासी ग्राम चौकी थाना महरौनी जनपद ललितपुर ।
3. हरीसिंह पुत्र भजनलाल उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम चौकी थाना महरौनी ललितपुर ।

बरामदगी का विवरण- घटना मे प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाडी मय बेंत(डण्डा) ।

अभि0 शिवराज का आपराधिक इतिहास -

- 1.मु.अ.सं.- 225/2025, धारा- 109/115(2)/117(2)/118(1)/191(2)/ 191(3)/324(4)/351(3)/352 बी.एन.एस थाना महरौनी ।
- 2.मु.अ.सं.-292/2018 धारा 147/352/427/504/506 भादवि व 3(1)द, ध एससी/ एसटी एक्ट थाना महरौनी ।

अभि0 सुमरन का आपराधिक इतिहास -

- 1.मु.अ.सं.- 225/2025, धारा- 109/115(2)/117(2)/118(1)/191(2)/ 191(3)/324(4)/351(3)/352 बी.एन.एस. थाना महरौनी ।

अभि0 हरी सिंह का आपराधिक इतिहास -

- 1.मु.अ.सं.- 225/2025, धारा- 109/115(2)/117(2)/118(1)/191(2)/ 191(3)/324(4)/351(3)/352 बी.एन.एस. थाना महरौनी ।

गिरफ्तारी का दिनांक- 01.06.2025

गिरफ्तार करने वाली टीम -

प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार मिश्र थाना महरौनी जनपद ललितपुर, मय टीम ।